रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2014/अग्रहायण 17, 1936
No. 656] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2014/ AGRAHAYANA 17, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 878(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली – 110001 को भेजे जा सकेंगे ;

3. केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार किया जाएगा ।

<u>प्रारूप नियम</u>

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 115 के उपनियम (14) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि नियम 115 के उपनियम (15) के पैरा (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों के लिए 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् विनिर्मित तिपहिया यान, उपनियम (17) की अपेक्षानुसार अनुमोदित प्रकार के होंगे :

परंतु यह भी कि उत्पादन की अनुरूपता अपेक्षांए भी उपनियम (17) में यथाविनिर्दिष्ट होंगी ।"।

3. मूल नियम में, नियम 115 के उपनियम (16) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(17) तिपहिया यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत स्तर 4)

1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् विनिर्मित तिपहिया यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत स्तर 4)

क. गैसोलीन इंजन से सुसज्जित तिपहिया यान

सारणी-1

	सीओ	एचसी + NOx	
		यदि वाष्पशील उत्सर्जन निम्नलिखित का अनुपालन करता है	यदि वाष्पशील उत्सर्जन 6.0 ग्राम/परीक्षण का अनुपालन करता है
(1)	(2)	(3)	(4)
टी.ए.=सी.ओ.पी. मानक (ग्रा./कि.मी.)	0.940	0.940	0.740
डी.एफ. (गुणह्रास कारक)	1.2	1.2	1.2

ख. सी.एन.जी. या एल.पी.जी. इंजन से सुसज्जित तिपहिया यान

सारणी-2

	सीओ	एचसी + NOx
(1)	(2)	(3)
टी.ए.=सी.ओ.पी. मानक (ग्रा./कि.मी.)	0.940	0.940
डी.एफ. (गुणह्रास कारक)	1.2	1.2

ग. संपीड़न ज्वलन इंजन से सुसज्जित तिपहिया यान

सारणी-3

	सीओ	एचसी + NOx	पी.एम.
(1)	(2)	(3)	(4)
टी.ए.=सी.ओ.पी. मानक (ग्रा./कि.मी.)	0.380	0.380	0.0425
डी.एफ. (गुणह्रास कारक)	1.1	1.0	1.2

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजन के लिए,--

1. संपीड़ित प्राकृतिक गैस रीति से प्रचालित यानों के लिए नियम 115ख के उपबंध लागू होंगे ।

2. द्रविकृत पैट्रोलियम गैस रीति से प्रचालित यानों के लिए नियम 115ग के उपबंध लागू होंगे ।

3. नियम 115 के उपनियम (12) के खंड (क), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के उपबंध, उपनियम के अंत में आने वाले परंतुक के सिवाय, लागू होंगे ।

4. गैसोलीन यान के लिए संदर्भ ईधन मूल नियमों के उपाबंध 4ञ में और ड़ीजल यान के लिए संदर्भ ईंधन मूल नियमों के उपाबंध 4ट में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होगा । संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए संदर्भ ईंधन वह होगा जो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध है ।

5. वाणिज्यिक गैसोलीन और डीजल के लिए विनिर्देश ऐसे होंगे, जो मूल नियमों के क्रमश: उपबंध 4ढ और उपबंध 4ण में विनिर्दिष्ट हैं । मूल नियम के नियम 115 के उप-नियम 15 के पैरा (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक गैसोलीन, गैसोलीन के लिए भारतीय मानक विनिर्देश ब्यूरो आई एस : 2796-2008 (संशोधन संख्या 1 जनवरी, 2008) और डीजल के लिए आई एस : 1460-2005 (पांचवां पुनर्रीक्षण) के अनुसार होगी । संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस विनिर्देश समय-समय पर अधिसूचित होंगे ।

6. उत्पादन की पुष्टि (सी.ओ.पी.) परीक्षण प्रक्रिया वह होगी जो समय-समय पर यथासंशोधित MoRTH/CMVR/TAP-115/116 में विहित है ।

7. इसमें विनिर्दिष्ट गैसोलीन या संपीड़ित प्राकृतिक गैस या द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (i) के उपबंधों का पालन करेंगे ।

8. इसमें विनिर्दिष्ट डीजल यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (ii) के उपबंधों का पालन करेंगे ।

9. गैसोलीन चालित यान प्रणाली के लिए क्रेंककेस वातायन को वातावरण में किसी क्रेंककेस गैस के उत्सर्जन को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

10. गैसोलीन चालित यानों के लिए उद्वाष्पन उत्सर्जन, इस बात पर निर्भर करते हुए कि विनिर्माता द्वारा अंगीकृत एच.सी.+NOx के लिए मानक द्रव्यमान उत्सर्जन मानकों की सारणी 1 के क्रमश: स्तंभ (3) या स्तंभ (4) है या नहीं, 2.0 ग्राम/परीक्षण या 6.0 ग्राम/परीक्षण से अधिक नहीं होंगे । परीक्षण प्रक्रिया, समय-समय पर यथा संशोधित MoRTH/CMVR/TAP-115/116 के अनुसार होगी ।"।

[फा. सं. आर.टी.-11028/10/2014-एम.बी.एल.]

संजय बंदोपाध्याय**,** संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल नियम सं. सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 810(अ) तारीख 17-11-2014 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2014

G.S.R. 878(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicle Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

2. Objection or suggestion, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi–110001.

3. Any objection or suggestion which may be received from any person on the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government;

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), in rule 115, in sub-rule (14), after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided also that three wheelers manufactured on and after the 1st April, 2016, for the areas other than those specified in para (a) of sub-rule (15) of rule 115, shall be type approved as per requirements of sub-rule (17):

Provided also that the conformity of production requirements shall also be as specified in sub-rule (17)."

3. In the principal rules, in rule 115, after sub-rule (16), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"**(17) Mass emission standards (Bharat Stage IV) for three wheelers**

Mass emission standards (Bharat Stage IV) for three wheelers manufactured on and after the 1st April 2016.

A. Three wheelers fitted with Gasoline engine:

Table 1

	CO	HC+ NOx	
		If the evaporative emission complies with	If the evaporative emission complies with 6.0 g/test
(1)	(2)	(3)	(4)
TA=COP norms (g/km)	0.940	0.940	0.740
D.F. (Deterioration Factor)	1.2	1.2	1.2

B. Three wheelers fitted with CNG or LPG engine:

Table 2

	CO	HC+ NOx
(1)	(2)	(3)
TA=COP norms (g/km)	0.940	0.940
D.F. (Deterioration Factor)	1.2	1.2

C. Three wheelers fitted with compression ignition engine:

Table 2

	CO	HC+NOx	PM
(1)	(2)	(3)	(4)
TA=COP norms (g/km)	0.380	0.380	0.0425
D.F. (Deterioration Factor)	1.1	1.0	1.2

Explanation.— For the purpose of this clause,

1. For vehicles operating on compressed natural gas mode, the provisions of rule 115B shall be applicable.
2. For vehicles operating on liquefied petroleum gas mode, the provisions of rule 115C shall be applicable.

3. The provisions of clauses (a), (c), (d), (e) and (f) of sub-rule (12) of rule 115, except the proviso therein at the end of the sub rule, shall be applicable.
4. The reference fuel shall be as specified in Annexure IV-J for gasoline vehicles and Annexure IV-K for diesel vehicles of the principal rules. Reference fuel for compressed natural gas and liquefied petroleum gas shall be as available commercially.
5. The specification of commercial gasoline and diesel shall be as specified in Annexure IV-N and Annexure IV-O respectively of the principal rules. For the areas other than those specified in para (a) of sub-rule 15 of rule 115 of principal rules, commercial gasoline shall be as per Bureau of Indian Standards specification IS: 2796-2008 (Amendment No. 1- January 2008) for gasoline and IS 1460:2005 (fifth revision) for diesel. Specification for commercial compressed natural gas and liquefied petroleum gas shall be as notified from time to time.
6. Conformity of production (COP) test procedure shall be as described in MoRTH/CMVR/TAP-115/116 as amended from time to time.
7. Gasoline or compressed natural gas or liquefied petroleum gas vehicles specified herein shall comply with the provisions of clause (i) of sub-rule (2) of rule 115.
8. Diesel vehicles specified herein shall comply with the provisions of clause (ii) of sub-rule (2) of rule 115.
9. Crank case ventilation for gasoline driven vehicles system shall not permit the emission of any of the crank case gases into the atmosphere.
10. Evaporative emission for gasoline driven vehicles shall not be more than 2.0 g/test or 6.0 g/test, depending on whether the norm for HC+NOx adopted by manufacturer is from Column (3) or Column (4), respectively, of Table 1 of mass emission norms. Test procedure shall be as per MoRTH/CMVR/TAP-115/116, as amended from time to time."

[F. No. RT- 11028 /10/2014-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: -The principal rules were published vide number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 810(E), dated 17-11-2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.